



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223632
CG-DL-E-10122020-223632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3933]
No. 3933]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4474(अ).—अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ.), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा वसंधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का अंतरराज्यिक वसंधारा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए गठन किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से, तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात्, तारीख 23 फरवरी, 2013 को या उससे पूर्व अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय देना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 24 फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ.), तारीख 22 फरवरी, 2013 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 24 फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, ओडिशा सरकार ने 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्यांक 443 में अंतर्वर्ती आवेदन संख्यांक 2013 का 8 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से केन्द्रीय सरकार को अधिकरण के गठन की तारीख 17 सितम्बर, 2012 से संगणना का निर्देश देने का अनुरोध किया;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13 दिसम्बर, 2013 को मामले की सुनवाई की और यह आदेश पारित किया कि क्योंकि अधिकरण ने 17 सितम्बर, 2012 से कार्य करना प्रारंभ किया था इसलिए उस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित तीन वर्ष की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए वसंधारा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख के रूप में समझा जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 778 (अ.) तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा यह विनिश्चय किया कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 17 सितम्बर, 2012 होगी और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन वसंधारा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की अवधि 17 सितम्बर, 2012 से प्रारंभ होगी;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितम्बर, 2015 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2581 (अ.), तारीख 18 सितम्बर, 2015 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितम्बर, 2015 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितम्बर, 2016 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2971 (अ.), तारीख 16 सितम्बर, 2016 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितम्बर, 2016 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 13 सितम्बर, 2017 को प्रस्तुत कर दिया था;

और, उड़ीसा राज्य ने तारीख 11 दिसम्बर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण को और निर्देश किया तथा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण में तारीख 12 दिसम्बर, 2017 को और निर्देश किया तथा उक्त अधिकरण ने 10 दिसम्बर, 2018 को या उससे पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसम्बर, 2018 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 474(अ.), तारीख 25 जनवरी, 2019 द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 11 दिसम्बर, 2018 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसम्बर, 2019 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4533(अ.), तारीख 13 दिसम्बर,

2019 द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 11 दिसम्बर, 2019 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, कुछ कार्य अभी भी उक्त अधिकरण द्वारा पूरा करने के लिए लंबित हैं, उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसंबर, 2020 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 11 दिसंबर, 2020 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. N-60012/1/2017-बी.एम.]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2020

S.O. 4474(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 *vide* notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, that is, on or before the 23rd February, 2013 ;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 24th February, 2013 and the Central Government *vide* notification number S.O.436 (E), dated the 22nd February, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year one year with effect from the 24th February, 2013;

And whereas, the Government of Odisha approached the Hon'ble Supreme Court *vide* Interlocutory Application number 8 of 2013 in Writ Petition (C) number 443 of 2006 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as the 17th September, 2012;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter and passed the order on the 13th December, 2013 that as the Tribunal started functioning with effect from the 17th September, 2012, that date be considered as the effective date of the constitution of the Vansadhara Water Disputes Tribunal for the purpose of calculating the period of three years as provided under sub-section (2) of section 5 of the said Act;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O.778 (E), dated the 14th March, 2014, had decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be the 17th September, 2012, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said act, the period of three years for submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal shall commence from the 17th September, 2012;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 and the Central Government *vide* notification number S.O. 2581 (E), dated the 18th September, 2015, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 ;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016 and the Central Government *vide* notification

number S.O. 2971(E), dated the 16th September, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016;

And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;

And whereas the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 and the Tribunal had to submit its further report within a period of one year, that is, on or before the 10th December, 2018;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2018 and the Central Government *vide* notification number S.O. 474(E), dated the 25th January, 2019, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2018;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2019 and the Central Government *vide* notification number S.O. 4533(E), dated the 13th December, 2019, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2019;

And whereas certain actions are still pending for completion by the Tribunal, the said Tribunal has now requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2020;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2020.

[F. No. N-60012/1/2017-BM]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.